[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India Ministry of Finance (Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, 25th March 2025

S.O.____.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Swaminathan S. Iyer, Executive Vice President – Head Legal, Company Secretary and Regulatory Affairs & ESG, Tata AIA Life Insurance Company Limited as Whole-Time Member (Life) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), on a consolidated pay package of five lakh rupees per month (without facility of house and car), for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or until he attains the age of 62 years or until further orders, whichever is the earliest.

(F. No. R-12011/03/2024-Ins.I)

(Abdul Gufran)

Under Secretary to Government of India

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ) भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री स्वामीनाथन एस. अय्यर, कार्यकारी उपाध्यक्ष - प्रमुख विधि, कंपनी सचिव और विनियामकीय कार्य तथा ईएसजी, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अविध के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पांच लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) में पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) नियुक्त करती है।

(फा.सं. आर-12011/03/2024-बीमा-I)

अब्दुल गुफरान) अबर सचिव, भारत सरकार